

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

छबड़ा जिला बारां(राज.)

विषय:- अधिसूचना छबड़ा अनुसार बैंक का नाम परिवर्तित किये जाने बाबत्

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक एडीबी का विलय भारतीय स्टेट बैंक एसीबी में किया गया है। अधिसूचना के अनुसरण में प्रार्थी रामेश्वर पिता कल्याण के नाम पटवार मण्डल करे के राजस्व ग्राम छबड़ा में वर्तमान रोटेशन जमाबंदी के खाता सं. 7 पर भारतीय स्टेट बैंक एडीबी के नाम रहन दर्ज रेकार्ड है, जिसे अधिसूचना अनुसार भारतीय स्टेट बैंक एसीबी दर्ज करवाने की कृपा करे।

दिनांक 19.09.25

हरताक्षर प्रार्थी

रिपोर्ट पटवार हल्का करे तहसील छबड़ा जिला बारां(राज.)

महोदयजी,

भारत सरकार द्वारा फरवरी 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक एडीबी शाखा छबड़ा का विलय भारतीय स्टेट बैंक एसीबी में कर दिये जाने से प्रस्तावित संशोधन किया जाना उचित है।

भू-अभिलेख निरीक्षक

पुत रामेश्वर

पटवारी

पटवार हल्का करे

कार्यालय तहसीलदार तहसील छबड़ा, जिला- बारां (राज.)

कमांक:राजस्व/2025/

दिनांक

मूल ही प्रार्थना पत्र श्रीमान् शिविर प्रभारी महोदय को प्रेषित कर निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में भारतीय स्टेट बैंक एडीबी शाखा छबड़ा के बजाय भारतीय स्टेट बैंक एसीबी शाखा छबड़ा किया जाना उचित है।

तहसीलदार (भू.अ.)
जिला बारां (राज.)
तहसील छबड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा जिला बारां(राज.)

कमांक:राजस्व/2025/ 38/25

दिनांक 19.09.25

हरब रिपोर्ट तहसीलदार छबड़ा के राजस्व रेकार्ड में संशोधन की स्वीकृति दी जाती है। पटवारी हल्का करे राजस्व रेकार्ड में उक्त संशोधन की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा
जिला बारां (राज0)
तहसीलदार, अधिकारी
छबड़ा (बारां)